राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./57526/2015 जयपुर, दिनांक : 8 JUL 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत।**

संदर्भः– **महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के प्रावधान।**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 23 के प्रावधानानुसार कार्यस्थल पर पेयजल, छाया/शेड, प्राथमिक चिकित्सा, शिशुगृह/कैच की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि कुछ कार्यस्थलों पर उक्त सुविधाएं या तो उपलब्ध नही करायी जा रही है या फिर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है। यह कृत्य महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों की उल्लघंन एवं श्रमिक के अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है, जिस पर अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम के तहत उपलब्ध सुविधाएं आवश्यक रूप से कार्यस्थल पर उपलब्ध करायी जावे तथा प्रावधानों की पालना नही किये जाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(शाहीन अली खान)
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस